हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2022-23)

आबकारी एवं कराधान विभाग

भारत के नियन्त्रक -महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 201 6-17 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र)पर आधारित है।

233वाँ प्रतिवेदन

(दिनांक: 12 अगस्त, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(i)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	(1-15)

समिति का गठन

सभापतिः

श्रीमती आशा कुमारी

सदस्यः

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री अर्जुन सिंह
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री राकेश जम्वाल
8. श्री जीत राम कटवाल
9. श्री सुभाष ठाकुर
10. श्री होशयार सिंह
11. श्री भवानी सिंह पठानिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **233 वाँ मूल प्रतिवेदन** जोकि **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष **2016-17(राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र**) की समीक्षा पर आधारित है, को सदन में प्रस्तुत करती हूँ।

समिति (वर्ष 2022-23) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन समिति गठन/ 1-14/2018, दिनांक 28 मार्च, 2022 को किया गया।

समिति, अतिरिक्त मुख्य सचिव(आबकारी एवं कराधान), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को लिखित उत्तर की सूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2018 व 23 अक्तूबर, 2019 को उपलब्ध करवाई।

समिति, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर आयोजित समिति की बैठकों में अपना सहयोग दिया।

समिति ने दिनांक **03अगस्त, 2022** की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सहयोग दिया।

दिनांक: **03अगस्त, 2022** **(आशा कुमारी)**
शिमला-171004. सभापति,
लोक लेखा समिति।

प्रतिवेदन

आबकारी एवं कराधान विभाग

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 20 16-17(राज्य के वित्त/ राजस्व क्षेत्र) के विभागीय उत्तरों पर आधारित।

राज्य के वित्त

पैरा संख्या: 1.3.1.1 कर राजस्व

पैरा संख्या: 1.3.1.3 संग्रहण लागत

टिप्पणी

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि वित्त विभाग(आधिक्य) से सम्बन्धित पैरों पर समिति अपना अभिमत सम्बन्धित प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में देगी।

पैरा संख्या: 2.3.4 आबंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

सिफारिश

समिति को विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 2235 में छोटे व्यापारियों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण स्पष्ट करें।

राजस्व क्षेत्र

पैरा संख्या: 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति
1.1.1

पैरा संख्या: 1.1.2 जुटाए गए कर राजस्व का विवरण

पैरा संख्या: 1.9 लेखा परीक्षा योजना

पैरा संख्या: 1.10 लेखा परीक्षा परिणाम

पैरा संख्या: 1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

पैरा संख्या: 2.1 कर प्रशासन

पैरा संख्या: 2.3 हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना (हिमटास) का क्रियान्वयन पर लेखापरीक्षा

पैरा संख्या: 2.3.1 परिचय

पैरा संख्या: 2.3.2 हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना का आरम्भ

पैरा संख्या: 2.3.3 हिमटास एप्लीकेशन के अन्तर्गत मॉडयूल

पैरा संख्या: 2.3.10 नवीन परियोजना के सलाहकार की नियुक्ति

पैरा संख्या: 2.3.11	कार्यान्वयन भागीदार द्वारा कमी युक्त सेवा के लिए शास्ति
पैरा संख्या: 2.3.12	हार्डवेयर वारंटियों का विस्तार न करना
पैरा संख्या: 2.3.13	अपर्याप्त यू0पी0एस0 तथा विद्युत मामला
पैरा संख्या: 2.3.16	वैब-पोर्टल तथा एप्लीकेशन में कमियां
पैरा संख्या: 2.7.2	कर की अल्पवसूली
पैरा संख्या: 3.1	कर प्रशासन
पैरा संख्या: 3.3	शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा
पैरा संख्या: 3.3.1	परिभाषा
पैरा संख्या: 3.3.2	संगठनात्मक ढांचा
पैरा संख्या: 3.3.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य
पैरा संख्या: 3.3.4	लेखापरीक्षा की पद्धति एवं विषय क्षेत्र
पैरा संख्या: 3.3.5	लेखापरीक्षा मापदंड
पैरा संख्या: 3.3.6	राजस्व की प्रवृति
पैरा संख्या: 3.3.10	बिक्री केन्द्रों का कोटा नियत करना
पैरा संख्या: 3.3.33	आन्तरिक नियंत्रण
3.3.33.1	आन्तरिक लेखापरीक्षा
पैरा संख्या: 3.3.33.2	विभागीय निरीक्षण
पैरा संख्या: 3.3.34	निष्कर्ष
पैरा संख्या: 3.3.35	सिफारिशें
पैरा संख्या: 3.4	नवीकरण फीस को वसूली करने के लिए लाईसेंस का नवीकरण
पैरा संख्या: 5.1	कर संचालन

टिप्पणी

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

पैरा संख्या:1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

सिफारिश

(1) बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट
(2) राज्य आबकारी
(3) माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क
(4) माल व यात्री कर

समिति का मत है कि उपरोक्त उप-शीर्षों के अन्तर्गत भविष्य में गलत दर न लगाई जाए उसके लिए विभाग ठोस पग उठाए तथा जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलत दर लगाई है उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। समिति यह भी जानना चाहती है कि पुराने मामलों में विभाग ने डिफॉल्टर की सम्पत्ति जब्त क्यों नहीं की और अभी तक सम्पत्ति जब्त करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई। समिति निर्देश देती है कि भविष्य में इसे detect करने के लिए विभाग सही प्रक्रिया अपनाए और समिति को शेष राशि क्रमशः मु0₹2819.83, 65.41, 47.92 व 6.77

करोड़ की वसूली हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या:1.3 निर्धारणों में बकाया

सिफारिश

1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर
समिति को शेष 140797 मामलों को निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

2. विलासकर
समिति को शेष 1923 मामलों को निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

3. संविदा कार्यों पर कर
समिति को शेष 544 मामलों को निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

4. मोटर स्प्रिट कर
समिति को शेष 11 मामलों को निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

पैरा संख्या:1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गये कर का अपवंचन

सिफारिश

1. बिक्री व्यापार आदि पर कर
समिति को शेष 27 मामलों को निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

2. राज्य आबकारी
समिति को शेष 25 मामलों को निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

3. यात्री कर व माल कर
समिति को शेष 10 मामलों को निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

4. वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क
समिति को शेष 17 मामलों को निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

पैरा संख्या: 1.5 धन वापसी के मामले

सिफारिश

समिति को बिक्री कर के 9 व राज्य आबकारी के 3 मामलों को निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

पैरा संख्या: 1.6 लेखा परीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया

सिफारिश

समिति को बकाया 536 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 1835 लेखापरीक्षा आपत्तियों को निपटाने हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

पैरा संख्या: 1.6.2 विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

सिफारिश

समिति जानना चाहती है कि वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की पैराग्राफ के समायोजन हेतु अधिक से अधिक बैठकें का आयोजन किया जाए।

पैरा संख्या:1.6.3 प्रारूप लेखा परीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभाग की प्रतिक्रिया

सिफारिश

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति का मत है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में पैरों का उत्तर पूर्ण रूप में निर्धारित समयावधि के भीतर अवश्य भेजें।

नोट:- पैरा संख्या:1.6.4 से 1.7.3 तक विभाग द्वारा उत्तर प्रेषित न करने के क्या कारण रहे? स्थिति स्पष्ट करें और उक्त पैरों से सम्बन्धित उत्तर प्रेषित करें जिसका अवलोकन समिति कार्रवाई स्तर पर करेगी।

पैरा संख्या:1.8 आन्तरिक लेखा परीक्षा

सिफारिश

समिति चाहती है कि विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमित अन्तराल पर हो और इसमें जितनी ईकाइयाँ भी आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए रखी जाए उनकी लेखापरीक्षा समय पर हो तथा इसको सुदृढ़ करने हेतु क्या पग उठाए जा रहे हैं। समिति को अन्तरिक लेखापरीक्षा सैल की नवीनतम स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

सिफारिश

1. कर का अवनिर्धारण

   समिति को शेष मामलों को निपटाने तथा उसमें संलिप्त राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

2. दोषपूर्ण सांविधिक प्रपत्र-सी तथा एफ की स्वीकृति

   समिति को शेष मामलों को निपटाने तथा उसमें संलिप्त राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

3. बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन

   समिति को शेष मामलों को निपटाने तथा उसमें संलिप्त राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

4. निवेश कर क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक अनुमोदन
समिति को शेष 23 मामलों को निपटाने तथा उसमें संलिप्त राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

5. कर की दर का गलत अनुप्रयोग
समिति को शेष 14 मामलों को निपटाने तथा उसमें संलिप्त राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

6. अन्य अनियमितताएं
समिति को शेष 58 मामलों को निपटाने तथा उसमें संलिप्त राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।

अन्य कर एवं गैर करः-

1. मनोरंजन कर
समिति को शेष राशि की वसूली हेतु किये गए प्रयासों की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

2. बहुउद्देशीय बैरियर
समिति को शेष राशि की वसूली हेतु किये गए प्रयासों की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

3. विलास कर
समिति को शेष राशि की वसूली हेतु किये गए प्रयासों की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्याः 2.3.3.1 मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर/यात्री एवं माल कर/ विलास कर मॉडयूल्ज

सिफारिश

विभाग में हिमटास को उपयोग करने की वजह अभी भी वही है परन्तु विभाग ने इस मॉडयूल्स का पहले ही उपयोग नहीं करवाया जैसा कि डीलरों की असैसमैंट/ रिफण्ड आदि मैनुअली की जाती है और की जा रही है। समिति उन कारणों से अवगत होना चाहती है कि जिन कारणों से इस मॉडयूल्स का विभाग उपयोग नहीं कर पा रहा है।

पैरा संख्याः 2.3.3.2 आबकारी मॉडयूल्ज

सिफारिश

इन मॉडयूल्स का इस्तेमाल बिक्री केन्द्र लाईसेंसधारियों आसवनियों/बोतलीकरण संयंत्रों के लाईसेंसो का नवीकरण, न्यूनतम गारण्टीड कोटा के प्रति परमिट जारी करना तथा इसकी उत्थापन की निगरानी के लिए किया जाना था। जिसके लिए यह मॉडयूल्स बनाए गए थे। विभागीय उत्तर में कांगड़ा जिला के रिटेलर के अपूर्ण का कोई जिक्र नहीं है और विभागीय उत्तरानुरूप प्रति "बी" संलग्न नहीं है ; उपरोक्त के मध्यनजर समिति को अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्याः 2.3.3.3 अन्य मॉडयूल्ज

सिफारिश

विभागीय उत्तरानुसार इन मॉडयूल्स के प्रयोग द्वारा एकत्रित डाटा का प्रयोग विभाग ने लम्बित निर्धारणों के निपटारे में इस्तेमाल कर रहा है। परन्तु टी0आई0एन0एक्स0एस0वाई0एस0 मॉडयूल्स अथवा से उत्पन्न सुराग/बेमेल की जांच नहीं की जा रही थी की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.3.4 <u>शिकायत मॉडयूल्ज</u>

<u>सिफारिश</u>

विभाग ने न तो एस0एम0एस0 गेटवे के निष्पादन में सुधार के लिए कदम उठाए, न ही शिकायतों के समानयीकरण/निगरानी हेतु नामित अधिकारी/स्टॉफ की तैनाती की तथा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई न करने के कारणसमिति को स्पष्ट करें ।

पैरा संख्या: 2.3.4 <u>मूल्य वर्धित कर-आई0टी0 परियोजना की वित्तीय प्रास्थिति</u>

<u>सिफारिश</u>

समिति जानना चाहती है कि परियोजना को समय पर पुरा न करने से सम्बन्धित विभाग द्वारा टी0सी0एस0 कम्पनी को कोई पैनल्टी लगाई है, अगर नहीं लगाई तो कारणों सहित अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.5 <u>परियोजना परामर्शदाता द्वारा अपूर्ण कार्य</u>

<u>सिफारिश</u>

संलग्न प्रतिलिपि से यह प्रतीत होता है कि आई0पी0 द्वारा केवल ए0टी0सी0 की हार्ड कॉपी जमा करवाई गई है। यू0आर0एस0 और एस0डी0डी0 हार्ड प्रतिलिपियों का संलग्न प्रतिलिपि में कोई उल्लेख न होने के कारणों से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.6 <u>लैगेसी डाटा कनवर्जन</u>

<u>सिफारिश</u>

अभिलेख में एम0एस0ए0 के अनुसार समस्त अभिलेखों का डिजिटाइजेशन और पी0आई0सी0 द्वारा इसका अनुमोदन दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, इसके अतिरिक्त डाटा कनवर्जन में जो कमियां पाई गई क्या उन्हें ठीक कर दिया गया है या नहीं तथा शेष राशि का भुगतान न करने बारे समिति को अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.7 <u>व्यापारियों का पैन डाटाबेस का अद्यतन</u>

<u>सिफारिश</u>

विभाग व्यापारियों के पैन डाटाबेस के संशोधन के सम्बन्ध में चुप है तथा स्वयं अभिलिखित किया है कि अधिकांश व्यापारियों ने गलत पैन संख्या उपलब्ध करवाई थी। समिति जानना चाहती है कि क्या विभाग ने डीलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई या नहीं जिन्होंने गलत पैन संख्या दी थी क्या इन पैन संख्या को ठीक कर दिया गया है या नहीं की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या:2.3.8 मूल्य वर्धित कर-आई0टी0 परियोजना का अंतिम परीक्षण तथा प्रमाणन

सिफारिश

विभाग ने अक्तूबर, 2013 में आयोजित बैठक में राज्य में नेटवर्किंग हेतु चिन्हित सौ स्थलों में से 90 प्रतिशत की अपेक्षा के प्रति पांच पॉयलट स्थलों पर जाकर 23 मॉडयूलों का रिकॉर्ड अन्तिम परीक्षण पर लिया था। अन्तिम स्वीकृत परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सुझाए गए निष्कर्षो टिप्पणियां सुधारों, आदि लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने के बावजूद विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए थे और न ही कोई उत्तर दिया गया तथा क्या इसके परीक्षण जांच पर कोई पैनल्टी लगाई गई है या नहीं कि अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.9 आई0टी0 परियोजना के लिए गो-लाईव प्रमाण पत्र

सिफारिश

पी0आई0सी0 ने 01 अप्रैल, 2013 से परियोजना के ओ0एण्ड0एम0 चरण की शुरूआत करने की अनुमति दी थी तथा इस प्रकार गो-लाईव प्रमाण पत्र का कोई औपचारिक अनुमोदन नहीं किया गया था। क्या अब ओ0एण्ड0एम0 को जानकारी है या नहीं, विभाग ने कोई गो-लाईव प्रमाण पत्र टी0सी0एस0 से प्राप्त किया है या नहीं की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.14 परियोजना थर्ड-पार्टी सुरक्षा लेखापरीक्षा संचालन न करना

सिफारिश

विभाग द्वारा एस0टी0क्यू0सी0 लेखापरीक्षा पर पी0आई0सी0 निदेशालय से मार्च, 2013 की बैठक में उठाए गए मामले में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा अब सूचना एवं प्रौद्यौगिक विभाग हिमाचल प्रदेश ने अपना परामर्शदाता फर्म मै0अर्नस्ट एण्ड यंग द्वारा हिमटास की लेखापरीक्षण के प्रतिवेदन की प्रति समिति को प्रस्तुत की जाए और जो अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में आते है उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.15 अभिलेख तथा वसूली

सिफारिश

विभाग द्वारा डाटा डी0आर0साईट पर जून, 2018 तक कर दिया जाएगा बताया गया है क्या विभाग द्वारा अब इसको कर दिया गया है की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.17 अनुपालना अनियमितताएं आर्थिक खुफिया इकाई

2.3.17.1

सिफारिश

समिति जानना चाहती है कि उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बद्दी (सोलन) द्वारा शेष बचे 6 मामलों में कितनी राशि संलिप्त है तथा उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर द्वारा शेष मामलों का निपटारा क्या नियमों अनुसार किया जा रहा है व उसमें कितनी राशि संलिप्त है तथा उन्हें निपटाने हेतु विभाग द्वारा उठाए गए पगों की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.18 बैंक ऑफिस स्वचालन का उपयोग

सिफारिश

विभाग द्वारा बैंक एण्ड माडयूल के बेहतर इस्तेमाल के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.19 निष्कर्ष

सिफारिश

समिति चाहती है कि विभाग द्वारा front end office का बेहतर इस्तेमाल करने उपरान्त विभाग भविष्य में ऐसे उचित कदम उठाए ताकि हिमटास सॉफटवेयर पर किये गए व्यय का दुरूपयोग न हो।

पैरा संख्या: 2.4 प्रवेश कर का कम लगाना

सिफारिश

विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक इलैक्ट्रोनिक ऊर्जा मीटरों पर प्रवेश कर की दर 13 प्रतिशत थी तथा दिनांक 01.11.2014 से यह दर 5 प्रतिशत दी गई थी जबकि इस पैरा के संलग्नकों से उद्घाटित हुआ है कि यह कर परिकलन 5 प्रतिशत की समान दर पर किया गया था तथा इसके निष्पादन हेतु क्या कार्रवाई अमल में लाई गई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाएं।

पैरा संख्या: 2.5 सकल बिक्री का गलत निर्धारण

सिफारिश

समिति को शेष राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.6 सकल बिक्री का गलत निर्धारण

सिफारिश

समिति को प्रक्रियाधीन मामलों की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.7 कार्य अनुबन्ध कर की अल्प-कटौती

2.7.1

समिति को प्रक्रियाधीन मामलों की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.8 किराया प्रभारों की अमान्य कटौती तथा प्रवेश कर का अनुदग्रहण

2.8.1

सिफारिश

विभाग द्वारा मशीनरी एवं टिप्पर से प्राप्त आय पर कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। अत: प्राप्त आय पर टैक्स की गणना करके उसकी वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.9 कार्य अनुबन्धों में श्रम प्रभारों की अधिक अनुमति

सिफारिश

विभाग द्वारा महालेखाकार कार्यालय के साथ किये गए पत्राचार की प्रति समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

पैरा संख्या: 2.10 गणना की गलती के कारण कर का अल्पोदग्रहण

सिफारिश

विभाग द्वारा कर वसूली की सही व गलत गणना बारे मुल्यांकन आदेशों की प्रतिसमिति को उपलब्ध करवाएं।

पैरा संख्या: 2.11 मनोरंजन शुल्क की अवसूली

सिफारिश

शेष मु0 9.93 करोड़ रूपये की राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.2 लेखा परीक्षा परिणाम

सिफारिश

1. शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

   विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।
2. आबकारी शुल्क की गैर/ अल्प वसूली

   विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।
3. लाईसैंस फीस/ ब्याज/ शास्ति की गैर/ अल्प वसूली

   विभाग 16 मामलों में वसूली हेतु शेष राशि मु0₹6.04 करोड़ की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाएं।
4. अन्य अनियमितताएं

   विभाग 11 मामलों में वसूली हेतु शेष राशि मु0₹4.65 करोड़ की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाएं।

पैरा संख्या: 3.3.7 शीरा से स्पिरिट का कम उत्पादन

सिफारिश

विभाग द्वारा मानदंडों के अधीन स्पिरिट का कम उत्पादन को रोकने तथा संभावित राजस्व की वसूली के लिए क्या ठोस पग उठाए जा रहें है की अद्यतन स्थिति से भी समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.3.8 अमान्य अपव्यय पर शुल्क की हानि

सिफारिश

समिति को प्रक्रियाधीन मामलों की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.3.9 टूट-फूट की अनियमित स्वीकृति

सिफारिश

समिति को मु0 31,17,978/- रूपये की राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.3.11 कोटा का अधिक उठाया जाना

सिफारिश

जिला ऊना:- विभाग द्वारा वसूली हेतु शेष बची राशि एवं उनमें संलिप्त मामलों के निष्पादन हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

जिला सोलन:- इसके अन्तर्गत कुल राशि ₹26,41,174 सम्मिलित थी जिसमें से ₹1,60,866 की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

जिला चम्बा:- इसके अन्तर्गत कुल राशि ₹6,35,337 सम्मिलित थी जिसमें वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

बी0बी0एन0 बद्दी:- इसके अन्तर्गत कुल राशि ₹46,30,102 की वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

जिला सिरमौर:- इस शीर्षक के अभिलेखों के पुनर्मिलान से यह उद्घाटित हुआ कि यह ठेकेदार स्थिति के संकलन में प्रक्रियात्मक कमी थी। समिति जानना चाहती है कि क्या कमी को दूर कर दिया गया है की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

जिला मण्डी: - इस शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹31,17,978 की वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

जिला शिमला:- इस शीर्षक के अन्तर्गत 47 बिक्री केन्द्र शामिल थे जिनमें शराब के कोटे का अधिक उठान हो गया था लेकिन विभिन्न वृतों के सहायक आबकारी व कराधान अधिकारियों/आबकारी व कराधान निरीक्षकों के रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् पाया गया कि जिला शिमला में किसी भी बिक्री केन्द्र में शराब के कोटे को अधिक नहीं उठाया गया था। अगर किसी भी डीलर ने अधिक कोटा नहीं उठाया था तो फिर रिकार्ड में कैसे अधिक कोटा अंकित हुआ समिति को इस तथ्य से अवगत करवाया जाए। इसकी भी जांच की जाए कि यह किसी अधिकारी या कर्मचारी की गलती से हुआ, अगर हुआ तो उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई अमल में लाई गई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.3.12 उठाए जाने की अपेक्षा अधिक खपत के कारण राजस्व की संदिग्ध चोरी

सिफारिश

समिति को प्रक्रियाधीन मामलों की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.3.13 लाईसेंस फीस की अल्प-वसूली

सिफारिश

विभाग द्वारा शेष राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.3.14 न्युनतम गांरटीड कोटा को कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का अनुद्ग्रहण न करना

सिफारिश

जिला ऊना:- समिति को लाइसैंसधारियों से वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

जिला सोलन:- समिति को लाइसैंसधारियों से शेष वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

जिला चम्बा:- समिति को 81 वैंड लाइसैंसधारियों से सम्बन्धित मामले जो माननीय उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन है के निर्णय तथा शेष 2 वैंड लाइसैंसधारी की वसूली की अद्यतन से अवगत करवाया जाए।

बी0बी0एन0 बद्दी:- समिति को 19 वैंडों से सम्बन्धित मु0 32,60,328/-रूपये की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

जिला सिरमौर:- समिति को व्यौवहारी से शेष राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

जिला मण्डी:- समिति को मु0 95,29,304/-रूपये की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.3.15 लाईसेंस फीस के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की वसूली न करना

सिफारिश

जिला मण्डी:- समिति को मु0 19,53,849/-रूपये की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.3.16 एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर आबकारी शुल्क का अनुदग्रहण

सिफारिश

जिला ऊना:- वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक मै0 आर0बी0एल0 मैहतपुर द्वारा ₹5,21,14,328 प्रूफ ली0ई0एन0ए0 का निर्माण किया गया इसमें से कुछ एक्स्ट्राप न्यूट्रल एल्कोहल का प्रयोग देसी व अंग्रेजी शराब बनाने के लिए किया गया। समिति जानना चाहती है कि excise annosment में ENA की बिक्री पर जब आबकारी शुल्क लगाने का प्रावधान है तो लाईसैंसधारी से उसकी वसूली क्यों नहीं की गई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

जिला चम्बा:- इससे सम्बन्धित कार्रवाई पैरा संख्या: 3.3.14 में की जा रही है।

बी0बी0एन0 बद्दी:- समिति को मु0 ₹2,07,00,000 की वसूली तथा बिना लाईसैंस फीस के ENA की बिक्री किन अधिकारियों की विफलता के कारण हुई व विभाग द्वारा उन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.3.17 बियर के निर्यात पर आबकारी शुल्क का अनुदग्रहण

सिफारिश

जिला चम्बा:- इससे सम्बन्धित कार्रवाई पैरा संख्या: 3.3.14 में की जा रही है।

जिला सिरमौर:- समिति विभागीय उत्तर पर विचारोपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया।

पैरा संख्या: 3.3.18 बोतलीकरण फीस में डी-2ए/बी0डब्ल्यू0एच0-2 लाईसैंस फीस का अनियमित समायोजन

पैरा संख्या: 3.3.19 शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाईसैंस फीस की अवसूली

पैरा संख्या: 3.3.20 आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पार-पत्रों को जारी न करना

एल-13 बिक्री केन्द्र न खोलने पर वार्षिक लाईसैंस फीस की गैर-

पैरा संख्या: 3.3.21 वसूली

बोतलीकरण फीस फ्रैंचाईज फीस तथा ब्याज की अल्प-वसूली

पैरा संख्या: 3.3.22 आसवनी/बन्धक माल गोदामों में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ के

पैरा संख्या: 3.3.23 वेतन की अवसूली/अल्प वसूली

पुन: आसवन हेतु प्रतिदर्शों का लेखाकरण न करना

पैरा संख्या: 3.3.24 शराब का अल्प लेखांकन

पैरा संख्या: 3.3.25 आसवनी लाईसैंस का अनियमित नवीकरण

पैरा संख्या: 3.3.26 होलोग्रामों की कमी

पैरा संख्या: 3.3.27 आसवनियों के अभिलेखों के अनुरक्षण में अनियमितताएं

पैरा संख्या: 3.3.29 औषधीय एवं प्रसाधन की चीजें

पैरा संख्या: 3.3.30 राजस्व वसूली का अपूर्ण डाटा

पैरा संख्या: 3.3.30.1 आबकारी शुल्क की गैर-वसूली के कारण राजस्व की हानि

पैरा संख्या: 3.3.30.2 आबकारी शुल्क की अस्वीकार्य छूट

पैरा संख्या: 3.3.30.3 औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ लाईसैंसधारकों के उत्पादों के

पैरा संख्या: 3.3.30.4 रसायनिक परीक्षण का संचालन न किया जाना

औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ इकाईयों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न

पैरा संख्या:3.3.30.5 करना

राज्य आबकारी शुल्क का अपवंचन

पैरा संख्या: 3.3.31

पैरा संख्या: 3.3.32 राज्य आबकारी शुल्क के रिफंड

सिफारिश

उपरोक्त पैरों से सम्बन्धित विभाग द्वारा शेष राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.3.28 आबकारी बैरियरों के माध्यम से अप्रभावशाली नियंत्रण

समिति ने दिनांक 02 जुलाई, 2021 की आयोजित बैठक में मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि उक्त पैरा में शेष राशि की वसूली करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है तथा इसमें संलिप्त मामलों का निपटारा कब तक कर लिया जाएगा की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए। समिति उन मामलों को भी जानना चाहेगी कि नियमों के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरान्त अभी तक उसकी वसूली क्यों नहीं की गई तथा इनमें जो भी राशि वसूली योग्य थी उसकी स्थिति विभाग महालेखाकार कार्यालय के साथ मिलान करें। के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने

अवगत करवाया कि यह मामला बैरियर से जुड़ा है और अब बाधाओं को समाप्त कर दिया गया है। विभाग को अब आई0टी0 आधारित समाधान मिल गए हैं। उस वक्त वैट का प्रोविजन था और 26(ए) का भी प्रावधान था, जब कोई भी सामान बाहर भेजते या मंगवाते थे तो उन्हें घोषित करना पड़ा ताकि विभाग इसे मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ संलग्न कर सकें तो विभाग वहां पर देख लेता था कि जो डिक्लेयर किया है वह कितना है और जो रिर्टन भरी वह कितने की है। यह एक अच्छा प्रोविजन था इसे विभाग बैरियर पर चैक करता था। विभाग ने एक्साइज, सी0जी0सी0आर0 और ए0जी0टी0 सब चीज का टैक्स बैरियर को रखा था परन्तु वर्ष 2011-12 में यह कानून बदला। माल के प्राप्तकर्ता के साथ-साथ माल के आपूर्तिकर्ता को रिटर्न में इसे दाखिल करने और बाधा के बजाय सीधे खजाने में मासिक कर का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए कानून में बदलाव किया गया है। अब सारे बैरियर खत्म हो चुके हैं। जो दूसरे मामले हैं वहां उसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। जिला सिरमौर, आबकारी आयुक्त ने सूचित किया है कि पड़ताल नाका, भरल , गोबिंद गढ़ स्टाफ की कमी के चलते एक्साइज चैक रजिस्टर को अपडेट नहीं किया गया और अब जी0एस0टी0 आने के बाद ये बैरियर खत्म कर दिए गए हैं तथा लिक्कर का भी अधिकतर स्टाफ वहां से हटा दिया गया है। एक केस नं0 1-207/17 दक्षिण क्षेत्र, आयुक्त साउथ जोन, वसूली का है। वहां डीलर को देरी से फार्म जमा करवाने के कारण 2.12 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया था जिसकी वसूली कर ली गई है। इसके अतिरिक्त विभाग ने एक्साइज पॉलिसी में प्रोविजन किया है कि जो ट्रक्स एक्साइज का मेटिरियल ले करके आते हैं उनके पास अब जी 0पी0एस0 होगा। विभाग में आई0टी0 आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने का प्रयास कर रहा है। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसमें एक पूरा साफ्टवेयर होता है जिसमें पासिज, परमिट, लाइसेंस और एल्पिकेशन रिन्यू आदि सभी चीजें ऑन लाइन कर दी गई हैं। केवल बोटल प्लांट ही बचा है वहां भी विभाग सी0सी0टी0वी0 कैमराज़ व सैंसर लगा रहे हैं जिससे यह पता लग सके कि प्लांट में कुल कितनी बोटल बनी इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा उससे स्मगलिंग वाला लिक्कर नहीं बन पाएगा और बिना एक्साइज डयूटी के वहां से सामान भी नहीं जा पाएगा। दूसरा विभाग का जी0पी0एस0 सिस्टम भी होगा, जिससे गाड़ी की पूरी मॉनिट्रिंग होगी।

मौखिक साक्ष्य दौरान समिति द्वारा चाही गई अतिरिक्त सूचना को विभाग ने दिनांक 26 जुलाई, 2021 को प्रेषित किया। जिस पर समिति ने विचार-विमर्श उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

टिप्पणी

समिति ने विभागीय उत्तर पर विचारोपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया।

पैरा संख्या: 3.5 न्यूनतम गांरटीड कोटा कम उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उदग्रहण न करना

सिफारिश

समिति को मु0 16.41 करोड़ रूपये की राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.6 लाईसैंस फीस की विलम्बित अदायगी पर ब्याज का उदग्रहण न करना

सिफारिश

इस शीर्ष के अन्तर्गत 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसैंसधारियों से कुल राशि ₹33.31 लाख में से 12.43 लाख की वसूली की जा चूकी है तथा मु0 20.88 लाख रूपये की राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.7 <u>शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की गैर-वसूली</u>

<u>सिफारिश</u>

इस शीर्ष के अन्तर्गत 149 बिक्री केन्द्रों के लाइसैंसधारियों से कुल राशि ₹10.33लाख में से 4.57 लाख की वसूली की जा चूकी है तथा मु0 5.76 लाख रूपये की राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 5.2 <u>लेखा परीक्षा परिणाम</u>

<u>सिफारिश</u>

<u>गैर-वसूली/अल्पवसूली</u>

1. <u>यात्री व माल कर</u> : इस शीर्ष के अन्तर्गत वसूली हेतु मु0 ₹1.17करोड़ की राशि शेष थी जिसमें से 0.38 करोड़ की राशि की वसूली की जा चूकी है तथा मु0 0.79 रूपये की राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।
2. <u>अपवंचन</u>
   <u>यात्री व माल कर</u> : इस शीर्ष के अन्तर्गत वसूली हेतु मु0 ₹1.32करोड़ की राशि शेष थी जिसमें से 0.25 करोड़ की राशि की वसूली की जा चूकी है तथा मु0 1.07 रूपये की राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।
3. <u>अन्य अनियमितताएं</u>
   <u>यात्री व माल कर</u> : इस शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बिलासपुर तथा सोलन से सम्बन्धित ₹39.45 करोड़ की राशि अतिरिक्त माल कर की वसूली हेतु शेष दर्शाई गई है। अत: समिति जानना चाहती है कि मु0 ₹39.45 करोड़ की राशि वसूली हेतु विभाग द्वारा वसूली हेतु क्या कार्रवाई अमल में लाई गई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 5.5 <u>यात्री व माल कर की अवसूली</u>

<u>सिफारिश</u>

1. <u>यात्री वाहन(मैक्सी कैव/टैक्सी)</u>:
   समिति को शेष 271 वाहनों के पंजीकरण व देय राशि मु0 15.02 रूपये की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।
2. <u>यात्री वाहन(शैक्षणिक संस्थान बसें)</u>:
   समिति को शेष 36 वाहनों के पंजीकरण व देय राशि मु0 2.84 रूपये की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।
3. <u>माल वाहन(भारी माल वाहन/मध्यम माल वाहन/हल्के माल वाहन/ट्रैक्टर)</u>:
   समिति को शेष 939 वाहनों के पंजीकरण व देय राशि मु0 56.94 रूपये की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 5.6 <u>आबकारी एवं कराधान विभाग के पास वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण न करवाना</u>

सिफारिश

समिति को शेष 2318 वाहनों के पंजीकरण व देय राशि मु0 0.89 रूपये की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 5.7 अतिरिक्त माल कर

सिफारिश

समिति इस पैरा को यहां से इस आशय से समाप्त करने का निर्णय लेती है क्योंकि इससे सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई इसी प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 5.2 के क्रमांक-3 पर अपेक्षित रहेगी।

*****